**भारत सरकार**
**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**
**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 195**
**03 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ**

**विषय: नई कृषि अवसंरचना और मशीनीकरण**

**195. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को शिक्षित करने के लिए अब तक कितनी कृषि अवसंरचना का निर्माण किया गया है;

(ख) मशीनीकरण करने और किसानों को मशीनीकरण अपनाने हेतु सहायता प्रदान करने की दिशा में क्या प्रमुख कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भंडारण सुविधाओं और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

**(क) से (ग):** दिनांक 8 जुलाई, 2020 में कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना की शुरुआत के बाद से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) में इस योजना के तहत 144 बुनियादी अवसंरचना इकाइयों के निर्माण के लिए बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा 152 करोड़ रुपये को संस्वीकृति दी गई थी। इसमें 78 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, 26 वेयरहाउस, 5 शीतागार और शीत श्रृंखला, 2 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां तथा 33 अन्य विविध बुनियादी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शामिल हैं।

यंत्रीकरण को अपनाने और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में किसानों की सहायता करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष योजना एआईएफ ऋणों पर 3% ब्याज छूट के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करती है तथा कृषि/फसल कटाई के ऑटोमेशन, कस्टम हायरिंग केंद्र की स्थापना, ड्रोन की खरीद, खेत में विशेष सेंसर लगाने, कृषि में ब्लॉक चेन और एआई आदि के लिए उधारदाताओं द्वारा दिए गए बिना जमानत वाली एआईएफ ऋणों पर गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। स्मार्ट और सुव्यवस्थित कृषि के लिए अवसंरचना की श्रेणी में ऐसी अन्य पहल के रूप में रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसे स्वचालित मौसम केंद्र, जीआईएस एप्लीकेशनों के माध्यम से कृषि सलाहकार सेवाएं शामिल हैं। एआईएफ का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं में सुधार करना भी है जिसमें ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए, एआईएफ योजना के तहत प्राथमिक प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाता है और लाभार्थियों को कई योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए इस योजना को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। अन्य पहलों में भंडारण और

प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियों का निर्माण और आधुनिकीकरण तथा शीत श्रृंखला जैसे रीफर वैन और इंसुलेटेड वाहन, राईपनिंग चैंबर और सॉर्टिंग व ग्रेडिंग इकाइयां में सुधार करना शामिल है।

**समेकित बागवनी विकास मिशन (एमआईडीएच),** शीघ्र खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है जिसमें पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग, स्टेजिंग शीतकक्ष, शीतागार, नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण, रीफर ट्रांसपोर्टेशन, राईपनिंग चैंबर्स की स्थापना तथा एकीकृत शीत श्रृंखला आपूर्ति प्रणाली आदि शामिल हैं। यह योजना केवल उत्तर-पूर्व और हिमालयी राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करती है। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में खाद्य प्रसंस्कण ईकाइयों के लिए पात्र परियोजना की लागत की 50% की दर से ऋण संबद्ध पार्श्वांत सहायता प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम परियोजना लागत प्रति इकाई 800.00 लाख रूपए उपलब्ध है।

**एकीकृत कृषि विपणन योजना** (आईएसएएम) की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-योजना के तहत दिनांक 01.04.2001 से इस योजना की शुरूआत से दिनांक 31.12.2022 तक देश में 740.43 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाली कुल 42164 भंडारण अवसंरचना परियोजनाओं (गोदाम) को सहायता प्रदान की गई है।

किसानों को शिक्षित करने के लिए 28 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्र के 704 जिलों में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) योजना कार्यान्वित की गई है। इस योजना के तहत विभिन्न विस्तार गतिविधियों यथा किसान प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अध्ययन दौरा, किसान मेला, कृषक समूह का संघटन तथा फार्म स्कूलों का आयोजन आदि के माध्यम से राज्य सरकार को कृषि और संबद्ध क्षेत्र (उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने सहित) के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में नवीनतम कृषि तकनीकों व अच्छी कृषि पद्धतियों को उपलब्ध कराने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से अनुदान सहायता जारी की जाती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) योजना तहत वर्ष 1990 में बिस्वनाथ चराली में एक कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। यह संस्थान किसानों, तकनीशियनों, इंजीनियरों, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को ट्रैक्टर और कृषि मशीनों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। यह संस्थान प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए किसानों को उनके आवास से आने-जाने के साथ-साथ प्रति दिन 200 रुपये की दर से वजीफा देता है। यह संस्थान गांवों में भी फील्ड प्रदर्शन और प्रशिक्षण आयोजित करता है। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण संस्थान खेत में उन्नत मशीनों के प्रदर्शन और बागानों के अनुकूल उपस्कर एवं उपकरणों हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। इसके अलावा ये संस्थान किसानों को गुणवत्तापूर्ण मशीनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस कोड के अनुसार मशीनों का परीक्षण करते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमता (सीईएफपीपीसी) निर्माण/विस्तार योजना के तहत एनईआर

में 1890.30 करोड़ रूपए की सहायता अनुदान सहित 7907.26 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली 489 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को अनुमोदन दिया गया है।

*********